



आवंटन से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियाँ

सम्पत्ति की संख्या तथा आरक्षण श्रेणी	क्षेत्रफल (व.मी. में)	भूमि दर (प्र.व.मी.)	आरक्षित मूल्य (लाख में) प्रति नग	टोकन मनी (रु. लाख में)
माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ : 80 वर्ग मी0 तक के आवासीय भूखण्ड (01 नग)				
4/898 (OBC)	62.72	13440.00	842957.00	46400.00

नीलामी से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियाँ

सम्पत्ति की संख्या तथा आरक्षण श्रेणी	क्षेत्रफल (व.मी. में)	भूमि दर (प्र.व.मी.)	आरक्षित मूल्य (लाख में) प्रति नग	टोकन मनी (रु. लाख में)
जागृति विहार योजना संख्या-6, मेरठ : 200 व0मी0 से बड़े भूखण्ड सैक्टर-1 (01 नग)				
90/1 (SC)	254.75	21280.00	5421080.00	271100.00
माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ : 81 व0मी0 से बड़े भूखण्ड सैक्टर-2 (02 नग)				
2/259 (SC)	171.00	13440.00	2298240.00	114912.00
माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ : 200 व0मी0 से बड़े नवविकसित भूखण्ड सैक्टर-1 (03 नग)				
1/R-10 (OBC) Sr. Citizen, 1/R-11 (SC), 1/R-15 (SC)	201.50	13440.00	2708160.00	135500.00
अशोक विहार योजना, खतौली : 80 वर्ग मी0 से बड़े आवासीय भूखण्ड (01 नग)				
A-129 (GEN)	264.00	7840.00	20.70	1.04
अशोक विहार योजना, खतौली : 53/127 प्रकार के मध्यम आय वर्ग भवन (01 नग)				
D-128 (GEN)	127.50	-----	18.65	0.94
शाकुन्तलम योजना, मुजफ्फरनगर : 53/127 प्रकार के मध्यम आय वर्ग भवन (01 नग)				
114 (GEN)	127.50	-----	30.73	1.54

नीलामी से निस्तारित होने वाली व्यवसायिक सम्पत्तियाँ

सम्पत्ति की संख्या तथा आरक्षण श्रेणी	क्षेत्रफल (व.मी. में)	भूमि दर फ्री होल्ड सहित (प्र.व.मी.)	आरक्षित मूल्य (लाख में) प्रति नग	टोकन मनी (रु. लाख में)
मंगलपाण्डे नगर, योजना संख्या-1, मेरठ : व्यवसायिक भूखण्ड सेक्टर-1 (01 नग)				
481	278.75	58240.00	16234400.00	1623440.00
मंगलपाण्डे नगर, योजना संख्या-1, मेरठ : नव विकसित व्यवसायिक भूखण्ड सेक्टर-2 (03 नग)				
SCP-2/1 (OBC)	48.24	58240.00	2809498.00	280950.00
SCP-2/2 (SC)	45.15	58240.00	2629536.00	262954.00
SCP-2/3 (GEN)	56.61	58240.00	3296966.00	329697.00
ट्रांसपोर्ट नगर, योजना संख्या-2, मेरठ : व्यवसायिक भूखण्ड (01 नग)				
A-94	315.19	26880.00	8472307.00	847231.00
शास्त्रीनगर, योजना संख्या-3, मेरठ : व्यवसायिक भूखण्ड आई तथा एल ब्लाक (02 नग)				
आई ब्लाक IS-116/2	128.00	42560.00	5447680.00	544768.00
एल ब्लाक L-1185/2 (C)	77.76	46816.00	3640412.00	364041.00

उपरोक्त सम्पत्तियों में एफ.ए.आर., ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत उपविधि अनुसार तथा अधिकतम ऊँचाई 10.50 मी. है।

शास्त्रीनगर, योजना संख्या-3, मेरठ : दुकानें के-ब्लाक (12 नग)				
K-1	8.062	-----	930216.00	93022.00
K-2, 3, 4, 10, 12, 15, 16	9.099	-----	1049868.00	104987.00
K-17, 18, 22, 25	8.131	-----	938177.00	93818.00
शास्त्रीनगर, योजना संख्या-7, मेरठ : नवविकसित व्यवसायिक भूखण्ड सेक्टर-3 (02 नग)				
3 Commercial A/6 (SC)	40.00	42560.00	1702400.00	170300.00
3 Commercial A/7(SC)	62.40	42560.00	2655744.00	265600.00
माधवपुरम, योजना संख्या-10, मेरठ : मल्टीप्लेक्स/व्यवसायिक/नर्सिंग होम भूखण्ड (03 नग)				
मल्टीप्लेक्स भू. 2/M.P.-01 (C)	7300.00	29568.00	215846400.00	21584640.00
व्यवसायिक भूखण्ड सेक्टर-3 2CP-1, 2 PR-1 (पार्किंग हेतु)	1701.50+203.50 =1905.00	29568.00	56327040.00	5632704.00
नर्सिंग होम भूखण्ड सेक्टर-1 1NH-01 (C)	374.85	29280.00	11083565.00	1108400.00
माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ : 80 वर्गमी0 तक व्यवसायिक भूखण्ड सेक्टर-1 (10 नग)				
1/CP-6 (GEN), 1/CP-8 (GEN), 1/CP-9 (OBC), 1/CP-10 (OBC)	78.00	26880.00	2096640.00	209700.00
Sr. Citizen, 1/CP-11 (GEN), 1/CP-12 (GEN) Sr.Citizen, 1/CP-15 (GEN), 1/CP-16 (GEN), 1/CP-19 (OBC), 1/CP-20 (SC)				
माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ : 100 से 300 वर्गमी0 तक व्यवसायिक भूखण्ड सेक्टर-1 (09 नग)				
1/CP-13 (C) (OBC), 1/CP-17 (C) (SC), 1/CP-18 (C) (GEN), 1/CP-21 (C) (GEN), 1/CP-14 (C) (SC), 1/CP-4 (C) (OBC), 1/CP-2 (GEN), 1/CP-3 (OBC), 1/CP-5 (C) (SC)	110.50 से 292.50	26880.00 से 29568.00	3267264.00 से 8648640.00	326800.00 से 864900.00
माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ : 301 वर्गमी0 से बड़े व्यवसायिक भूखण्ड सेक्टर-1 (07 नग)				
1/CP-1 (C) (SC), 1/CP-22 (GEN), 1/CP-23 (C) (OBC), 1/CP-27 (SC), 1/CP-24 (C) (GEN), 1/CP-26 (OBC), 1/CP-25 (C) (GEN)	315.70 से 737.10	26880.00 से 29568.00	8499456.00 से 21794573.00	850000.00 से 2179500.00
जागृति विहार, योजना संख्या-11, (विस्तार) मेरठ : ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (02 नग)				
2/GH-1 (C) (GEN)	10400.00	25872.00	269068800.00	26906880.00
2/GH-2 (C) (GEN)	11000.00	25872.00	284592000.00	28459200.00

उपरोक्त सम्पत्तियों में एफ.ए.आर., ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत तथा अधिकतम ऊँचाई उपविधि अनुसार है।

नोट : - माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ में व्यावसायिक भूखण्ड संख्या-2सीपी-1 जिसका क्षेत्रफल 1701.50 वर्ग मी. है जिस पर उपविधि के अनुसार मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा तथा 2पीआर-1 जिसका क्षेत्रफल 203.50 वर्ग मी. है, व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-2सीपी-1 के साथ पार्किंग हेतु उपलब्ध है, जिस पर किसी प्रकार का निर्माण अनुमत्य नहीं होगा।

नोट (2) : - मेरठ शहर की रिकत सम्पत्तियाँ आवंटन/नीलामी में प्रस्तावित हैं। जो सम्पत्तियाँ आरक्षित वर्ग के आवेदक न होने पर सामान्य वर्ग के आवेदकों के मध्य निस्तारित कर दी जायेंगी।

अशोक विहार योजना, खतौली : व्यावसायिक भूखण्ड (10 नग)				
B.Com-2 (OBC), B.Com-3 (GEN), B.Com-4 (GEN), B.Com-5 (C) (GEN), B.Com-6 (C) (SC), B.Com-7 (OBC), B.Com-8 (SC), B.Com-9 (GEN), D/COM-01 (C) (OBC), D/COM-02 (C) (GEN)	78.20 से 882.20	18745.00 से 20620.00	14.66 से 181.90	1.47 से 18.20

उपरोक्त सम्पत्तियों में एफ.ए.आर. 1.20, ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत 40% तथा अधिकतम ऊँचाई उपविधि अनुसार है।

शाकुम्भरी विहार, सहारनपुर : व्यावसायिक भूखण्ड (07 नग)				
3D/CP-01 (C) (SC), CP-02 (SC), CP-03 (GEN), CP-04 (GEN), CP-05 (GEN), CP-06 (GEN), CP-07(C) (GEN)	321.30 से 511.12	24640.00 से 27104.00	79.17 से 138.54	7.92 से 13.86

उपरोक्त सम्पत्तियों में एफ.ए.आर. 1.75, ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत 40% तथा अधिकतम ऊँचाई उपविधि अनुसार है।

आवश्यक सूचना

परिषद के आवंटितियों/ग्राहकों की शिकायतों/समस्याओं के निस्तारण हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रत्येक माह के तृतीय बृहस्पतिवार को **परिषद दिवस** का आयोजन जोनल कार्यालय एवं परिषद के लखनऊ स्थित मुख्यालय कार्यालय पर प्रातः 10:00 से 12:30 तक किया जाता है। अवकाश की दशा में परिषद दिवस का आयोजन अगले कार्य दिवस में होगा।

सम्पत्ति की संख्या तथा आरक्षण श्रेणी	क्षेत्रफल (व.मी. में)	भूमि दर फ्री होल्ड सहित (प्र.व.मी.)	आरक्षित मूल्य (लाख में) प्रति नग	टोकन मनी (रु. लाख में)
पतानपुरा योजना संख्या-1 (विवेक नगर), सहारनपुर : दुकान (02 नग)				
S-19 (GEN)	9.62	-----	5.28	0.53
S-20 (GEN)	14.196	-----	7.68	0.77
शाकुम्भरी विहार, सहारनपुर : होटल भूखण्ड (01 नग)				
2A/H-1 (Corner) (GEN)	8088.40	27104.00	2192.28	219.23

उपरोक्त सम्पत्ति में एफ.ए.आर. 1.50 तथा ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत 40% है।

शैक्षिक भूखण्डों का विवरण

भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का स्तर	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	वर्तमान आरक्षित भूमि दर (प्र.व.मी.)	भूखण्ड का कुल मूल्य (रु.लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)
शाकुम्भरी विहार योजना, सहारनपुर : स्कूल भूखण्ड (लीज पर) (01 नग)					
SCHOOL (C)	PRIMARY	1844.94	13310.00	245.57	24.56
अशोक विहार योजना, खतौली : स्कूल भूखण्ड (लीज पर) (02 नग)					
A-SCH-01 (C)	PRIMARY	1001.7	8470.00	84.85	8.49
D/SCH-02 (C)	NURSERY	599.37	8470.00	50.77	5.08

तालिका में उल्लिखित मूल्य पंजीकरण धनराशि के निर्धारण हेतु ही है। आवंटन तिथि/आवंटन पत्र निर्गत तिथि पर लागू भूमि दर के अनुसार विद्यालय को भूखण्ड का मूल्य देना होगा। उक्त आरक्षित भूमि दर में 10 प्रतिशत लीज रेन्ट व 10 प्रतिशत कार्गर शुल्क शामिल है। पंजीकरण पुरस्कार सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, विवेक नगर, सहारनपुर से क्रय कर विज्ञापन प्रकाशन तिथि से एक माह के भीतर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र के साथ निर्धारित टोकन मनी का बैंक ड्राफ्ट जो कि **उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, देयक सहारनपुर** के पक्ष में देय हो, के साथ सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, सहारनपुर में जमा करना होगा तथा पात्र आवेदकों को नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पंजीकृत डाक द्वारा सूचना नीलामी तिथि निर्धारित होने पर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, सहारनपुर द्वारा दी जायेगी।

भूखण्ड संख्या तथा आरक्षण श्रेणी	भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षित दर (रु.) प्र.व.मी.	टोकन धनराशि (रु.)
वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद : नवविकसित अनावासीय सम्पत्तियाँ				
लघु उद्योग भूखण्ड 7/L-1 (GEN), 7/L-2 (GEN)	2	2873.40 से 5608.57	94080.00	27033000.00 से 52765500.00
संस्थागत भूखण्ड 7/INS-1 (GEN), 7/INS-3 (GEN), 8/INS-1 (GEN)	3	4180.42 से 8970.01	70560.00 से 77616.00	32446800.00 से 40757800.00
सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल 7/INS-2 (GEN)	1	15018.48	70560.00	40757800.00
सर्विस भूखण्ड 7/SR-INS-1 (GEN), 8/SR-INS-1 (GEN)	2	2001.76 से 5983.99	70560.00	14124500.00 से 42223100.00
हेल्थ सेन्टर भूखण्ड 8/H-1 (GEN)	1	2537.28	70560.00	17903100.00
होटल भूखण्ड 8/HP-1 (GEN)	1	18518.25	103488.00	191641700.00
पेट्रोल पम्प भूखण्ड 8/PP-1 (GEN)	1	3749.38	94080.00	35274200.00

नोट : - उपरोक्त सम्पत्तियों में एफ.ए.आर. 0.20 से 1.75 तक है।

वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद : अनावासीय सम्पत्तियाँ				
व्यावसायिक 6/COMM.-1D-A (GEN), 6/COMM.-1D-B (GEN), 6/COMM.-1D-C (GEN), 6/COMM.-1E (C) (GEN)	4	787.75 से 1722.41	94080.00 से 103488.00	7411200.00 से 16204450.00
संस्थागत 4/I.N.S.-6 (GEN), 4/I.N.S.-12 (GEN)	2	3657.50 से 4068.31	70560.00 से 77616.00	25807400.00 से 31576600.00
होटल 4/H-1 (GEN)	1	3558.30	103488.00	36824200.00
सामुदायिक केन्द्र Sector-4 (GEN)	1	1038.00	50820.00	5275200.00
नर्सिंग होम 2A/N.H.-2 (GEN)	1	1026.00	70560.00	7239500.00
हेल्थ सेन्टर Sec-1(GEN), 3/HC (GEN)	2	3432.75 से 5232.52	70224.00 से 70560.00	24221500.00 से 36745000.00
ग्रुप हाउसिंग 14/COMM-1 (C) (GEN)	1	6527.20	77616.00	59661600.00
सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद : अनावासीय सम्पत्तियाँ				
नर्सिंग होम 9/NH-1 (GEN)	1	3090.11	54600.00	20246500.00
कन्वेंस शॉप 9/CONV. SHOP (GEN)	1	2034.85	72800.00	14813710.00
व्यवसायिक भूखण्ड 10/COM-1 (GEN) 7C/COM-1 (SC), 7C/COM-3 (OBC), 7C/COM-4 (GEN), 7C/COM-5 (GEN), 7C/COM-8 (GEN)	6	224.00 से 1470.00	72800.00 से 80080.00	1630800.00 से 11771800.00
पेट्रोल पम्प (लीज पर) 10/F.S. (GEN)	1	1043.28	72800.00	7595100.00
मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद : ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड				
ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (GEN) 1B/GH-11, GH-16, GH-17, GH-30, GH-31	5	2400.00 से 3060.00	38640.00 से 42504.00	9273600.00 से 13006250.00
ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (GEN) 1B/GH-21	1	2400.00	38640.00	9273600.00
ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (GEN) 1B/GH-5, GH-12, GH-13, GH-14, GH-18, GH-24, GH-25, GH-28	8	2400.00 से 3060.00	38640.00 से 42504.00	9273600.00 से 13006250.00
ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (GEN) 1B/GH-6, GH-7, GH-8, GH-9, GH-15, GH-19, GH-20, GH-22, GH-23, GH-27, GH-29, GH-32	12	2400.00 से 3180.00	38640.00 से 42504.00	9273600.00 से 13516300.00
मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद : व्यावसायिक हाउसिंग भूखण्ड				
व्यावसायिक भूखण्ड (GEN) 1B/COM-14, COM-16, COM-25, COM-29, COM-31	5	892.50 से 2432.00	51520.00 से 56672.00	4598160.00 से 13782650.00
व्यावसायिक भूखण्ड (GEN) 1B/COM-13, COM-15, COM-17, COM-24, COM-26	5	892.50 से 2380.00	51520.00	4598160.00 से 12261800.00
व्यावसायिक भूखण्ड (GEN) 1B/COM-20, COM-18, COM-19, COM-20, COM-21, COM-22, COM-23, COM-27, COM-28, COM-30	10	892.50 से 4252.83	51520.00 से 56672.00	4598160.00 से 24101640.00

व्यवस्थापक/दुकानें (विस्थापित) : वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में विस्थापित श्रेणी में दुकानों हेतु पंजीकृत आवेदकों के मध्य सहमति के आधार पर लाटरी ड्रा द्वारा आवंटन उपरोक्त दिनांक एवं स्थल पर किया जायेगा। परिषद द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार दुकानों का आवंटन मूल मूल्यांकन की पद्धति (दुकानों का निर्माण मूल्य स्वीकृत मूल्यांकन के अनुसार व वर्तमान भूमि दर लेकर) के अनुसार आवंटित की जायेगी।

नोट:- (1) उपरोक्त अनावासीय भूखण्डों (नवविकसित) के भौतिक कब्जे के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी स्थानीय कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है। (2) वसुन्धरा योजना के सेक्टर-7 में नवसृजित 06 नग एवं सिद्धार्थ विहार योजना के सेक्टर-7 में 17 नग व्यवसायिक भूखण्डों का आरक्षण भी किया जायेगा।

मुख्य नियम व शर्तें:- (1) आवेदन/सील्ड बिड फार्म सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से रु. 100/- जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। (2) आवंटन/नीलामी के माध्यम से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियों पर सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत तथा व्यवसायिक सम्पत्तियों के मूल्य का 10 प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर, जो **“उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद”** के नाम तथा सम्बन्धित शहर में देय हो, आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप पर बैंक ड्राफ्ट एवं आवश्यक शपथ-पत्र सहित आवंटन की तिथि से दो दिन पूर्व तथा नीलामी हेतु सील्ड बिड नीलामी की तिथि से एक दिन पूर्व तक संबंधित स्थानीय कार्यालय में दी जा सकती है अथवा नीलामी के दिन नीलामी प्रारम्भ होने के पूर्व टोकन प्राप्त कर खुली बोली में भाग लिया जा सकता है। (3) जाति प्रमाण-पत्र उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उ0प्र0 शासन द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिये। (4) सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण तथा नियम/शर्तों की जानकारी सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है एवं परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.com> पर **Public Notice** के अन्तर्गत देखी जा सकती है। (5) किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

नोट:- आरक्षित वर्ग की सम्पत्तियों हेतु आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। (C) चिन्ह कार्गर सम्पत्ति का द्योतक है। **आवास आयुक्त**